TWI
Truth will Triumph

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1
(पंजीयन-633/2003)

अध्यक्ष (डॉ० एस० शर्मा)
[illegible] प्रसाद
(डी. एन. प्रसाद)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सआदत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार ।

विषय :- बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं मांगों के सम्बन्ध में स्मार पत्र ।

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को हो रही कठिनाईयों एवं मांगों के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकृष्ट करने की अनुमति चाहता हूँ ।

आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । इस सेवा के पदाधिकारी प्रखण्ड/अंचल स्तर से सचिवालय के स्तर तथा विभिन्न विभागों एवं विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर पदस्थापित हैं । हमारे पदाधिकारी विधि व्यवस्था संधारण से लेकर विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं, फिर भी इनकी स्थिति क्षेत्र से लेकर उच्चतर स्तर पर बदतर होती जा रही है । प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय से लेकर जिला स्तर तक कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को न आवास की सुविधा सही ढंग से उपलब्ध है और न उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी है । उनकी सुविधा की यह स्थिति है कि बार-बार सरकार के द्वारा निर्गत परिपत्रों के बावजूद बिहार के सभी अंचलों में अब तक अंचल गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं किया गया है, और न ही उन्हें अलग से कोई सुरक्षा के लिए अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया । उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इनकी स्थिति और भी बदतर है ।

बिहार के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर बैठ कर आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि हमारे प्रखण्ड/अंचल एवं अनुमंडल में पदस्थापित पदाधिकारी बिना वाहन/आवास/सुरक्षा के किस प्रकार अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं ।

महोदय! वर्षों से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों से सम्बन्धित निम्नलिखित मांगों के प्रति हम आपका ध्यान आकृष्ट करते रहे है, परन्तु अब तक इस दिशा में कोई समुचित कार्रवाई नहीं की जा सकी । आशा ही नहीं संघ को पूर्ण विश्वास है कि हमारी मांगों के प्रति आपका साकारात्मक रुख होगा और इसकी पूर्ति के लिये आप प्रभावकारी कार्रवाई करने हेतु आदेश देंगे ।

1. <u>बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को 8000-13500/- रू0 का वेतनमान उपलब्ध करने के सम्बन्ध में</u>

आप सहमत है कि बिहार प्रशासनिक सेवा राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता की सेवा है । पूर्व में बिहार असैनिक सेवा में दो शाखायें थी (1) कार्यपालिका तथा (2) न्यायपालिका शाखा । दोनों शाखाओं का वेतनमान समान था परन्तु अब तो बिहार

gupta babu

न्यायिक सेवा का वेतनमान 9000-14500/- रू० का हो गया है परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को सचिवालय के प्रशाखा पदाधिकारी के समतुल्य 6500-10500 का वेतनमान दिया गया है ।

प्रथम एवं द्वितीय वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को अन्य सेवा से विशिष्ठ वेतनमान प्राप्त था । तृतीय एवं चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति में इस सेवा के वेतनमान को अन्य राजकीय सेवा के वेतनमान के अनुरूप कर दिया गया । चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति में बिहार प्रशासनिक सेवा को 2200-4000/- रू का वेतनमान प्राप्त था । इस वेतनमान वाले केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों को 8000-13500/- रू० का वेतनमान दिया गया । यहां तक कि वरीय लेखा पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी जो ग्रुप "बी" की सेवा के हैं, उन्हें भी 8000-13500/- रू० का वेतनमान दिया गया, परन्तु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को एक क्रम नीचे यानि 6500-10500/- रू० का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है । उल्लेखनीय है कि राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का वेतनमान बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में 8000-13500 का प्राप्त है ।

यहां तक कि कृषि विश्वविद्यालयों के व्याख्याताओं एवं कुछ गिने-चुने विद्यालयों के शिक्षकों को भी 8000-13500/- रू० का वेतनमान प्राप्त है ।

उपरोक्त परिस्थिति में "संघ" की मांग है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को भी 8000-13500/- रू० का वेतनमान उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

2. <u>प्रोन्नति</u>

वर्ष 1999 के बाद 5 वर्षो तक स्टैगनेशन की स्थिति झेलने के बाद वर्ष 2004-2005 में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रोन्नति दी गयी परन्तु अब तक 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूरा कर लेने के उपरान्त ए०सी०पी० का लाभ बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी नहीं मिल पाया है । वर्ष 2005 में प्रोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई है ।

5 वर्षो के विलम्ब के बाद प्रोन्नति मिलने के उपरांत कालावधि पूरा नहीं किये जाने के कारण निदेशक के 3 पद अब दो वर्ष तक रिक्त रहेंगे । अगर कालावधि झांत कर ये तीनों पद नहीं भरे जाते हैं तो बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीयतम तीन पदाधिकारियों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा । "संघ" यह मांग करती है कि कालावधि झांत कर प्रोन्नति से भरे जाने वाले पदों को सरकार शीघ्र भरने की कार्रवाई करे और रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति दें क्योंकि विलम्ब से प्रोन्नति दिए जाने में पदाधिकारियों का कोई दोष नहीं है ।

gupta babu

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

(डॉ० [illegible] शर्मा)

अध्यक्ष

[redacted]

([redacted])

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सहादत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

दिनांक

पत्र संख्या

3. <u>विशेष सचिव/अपर सचिव के पदों को पुर्नस्थापित करने के सम्बन्ध में</u>

अविभाजित बिहार में कुल 6 पद विशेष सचिव एवं 11 पद अपर सचिव का बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य था। इस प्रकार बिहार विभाजन के फलस्वरूप 8 पद अपर सचिव और 4 पद विशेष सचिव को राज्य सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। यह पद पंचम वेतन पुनरीक्षण समिति के वेतनमान लागू हेने के उपरांत समाप्त कर दिया गया, जिसका कोई औचित्य नही। विदित हो कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 28 से 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों की संख्या हर बैच में काफी कम है। इस प्रकार इस सेवा के ज्यादातर पदाधिकारी संयुक्त सचिव से उपर प्रोन्नति नही पाते है। इनके मनोबल को रखने के लिये विशेष सचिव/अपर सचिव के पद बिहार सरकार द्वारा सृजित किया गया था परन्तु इसे भी समाप्त कर दिया गया। "संघ" यह मांग करती है कि विशेष सचिव के 4 पद और अपर सचिव के 8 पद पुनर्जीवित किये जाये। झारखंड जैसे राज्य में भी विशेष सचिव के 6 पद और अपर सचिव के 12 पद सृजित किए गए हैं।

4. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1996 के तहत प्रत्येक तीन वर्षो में कैडर रिभीयु की व्यवस्था है। इसके लिये एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित है। उस समिति की अनुशंसा पर ही इस सेवा के सभी स्तर के पदों का पुनरीक्षण किया जा सकता है। "संघ" यह मांग करती है कि संयुक्त सचिव/अपर जिला दण्डाधिकारी/अवर सचिव/अनुमंडलीय स्तर के सभी छुटे हुये पदों को चिन्हित कर पदाधिकारियों की प्रोन्नति उन पदों पर सरकार करें। इस हेतु सरकार एक बैठक शीध्र बुलाए।

5. <u>बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना</u>

राज्य हित एवं प्रशासनिक हित में "संघ" यह मांग करती है कि सरकार सभी जिलों/अनुमंडलों/प्रखण्डों एवं अंचलों में पदस्थापित बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के लिये आवास/कार्यालय भवन/वाहन एवं सुरक्षा उपलब्ध कराये जिससे कि राज्य का विकास त्वरित गति से हो सके और पदाधिकारियों को मनोबल भी ऊंचा रहे।

6. <u>कठिन कर्त्तव्य भत्ता में बढ़ोत्तरी</u>

वर्ष 1980 से बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों को 75/- रू0 प्रतिमाह एवं वरीय पदाधिकारियों, जो प्रखण्ड/अंचल/अनुमंडल एवं जिलों में

gupta babu

Truth will Triumph

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

(के० एम० शर्मा)

अध्यक्ष
वैद्यनाथ प्रसाद
(बी. एन. प्रसाद)
महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष
अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)
महासचिव : 2286093 (R)
उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)
कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
अर्जुन प्रसाद
संयुक्त सचिव
सहादत हसन मन्टू
रजनीश कुमार सिंह
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

पदाधिकारियों को 100/- रू0 प्रतिमाह के दर से स्वीकृत किया गया था। 25 वर्षो के बाद भी अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

आप सहमत हेंगे कि सदर क्षेत्र/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था संधारण एवं बाढ़-सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है।

अतः सरकार को इसमें अनुपातिक बढ़ोत्तरी करना चाहिए।

महोदय आप सहमत हेंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य दुर्गम क्षेत्रों में कितना कठिन है और उनकी जिम्मेदारी कितनी गुरूत्तर है। ये विकास की रीढ़ हैं। इनके भरपूर सहयोग के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। आशा है कि आप हमारी मांग पर शीघ्र विचार करते हुये हमसे वार्त्ता हेतु तिथि का निर्धारण करेंगे और शीघ्र ही इनके कार्यान्वयन पर अमल करने हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेश निर्गत करेंगे।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
कार्यकारी अध्यक्ष

ज्ञापांक - 15 /पटना, दिनांक - 28-6-05

प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

ज्ञापांक - 15 /पटना, दिनांक - 28-6-05

प्रतिलिपि सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

gupta babu

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

Truth will Triumph

अध्यक्ष

(के० एम० शर्मा)

[illegible]

([illegible])

महासचिव

विपिन कुमार सिन्हा

(बी. के. सिन्हा)

दूरभाष

अध्यक्ष : 2221706 (O) 2590816 (R)

महासचिव : 2286093 (R)

उपाध्यक्ष : (श्री शर्मा) 2353207 (R)

कोषाध्यक्ष : 2262597 (R)

उपाध्यक्ष

कृष्ण मुरारी शर्मा

अर्जुन प्रसाद

संयुक्त सचिव

सआदत हसन मन्टू

रजनीश कुमार सिंह

कोषाध्यक्ष

महेश प्रसाद गुप्ता

पत्र संख्या

दिनांक

पदाधिकारियों को 100/- रू0 प्रतिमाह के दर से स्वीकृत किया गया था । 25 वर्षो के बाद भी अभी तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है ।

आप सहमत होंगे कि सदर क्षेत्र/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित पदाधिकारियों को विधि व्यवस्था संधारण एवं बाढ़-सुखाड़ प्रभावित क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता है ।

अतः सरकार को इसमें अनुपातिक बढ़ोत्तरी करना चाहिए ।

महोदय आप सहमत होंगे कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का कार्य दुर्गम क्षेत्रों में कितना कठिन है और उनकी जिम्मेदारी कितनी गुरूत्तर है । ये विकास की रीढ़ हैं । इनके भरपूर सहयोग के बिना राज्य के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती । आशा है कि आप हमारी मांग पर शीघ्र विचार करते हुये हमसे वार्त्ता हेतु तिथि का निर्धारण करेंगे और शीघ्र ही इनके कार्यान्वयन पर अमल करने हेतु सम्बन्धित विभाग को आदेश निर्गत करेंगे ।

28/6

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

28/6/2005

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
कार्यकारी अध्यक्ष

ज्ञापांक - 15 /पटना, दिनांक - 28-6-05

प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/6

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

ज्ञापांक - 15 /पटना, दिनांक - 28-6-05

प्रतिलिपि सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं गृह विभाग को सूचनार्थ एवं अग्रत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/6

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

gupta babu